तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4399/2005/भरतपुर** **छैला बनाम ग्राम पंचायत, उड़का**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—

श्री वीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषकगण अप्रार्थी सं0 1

श्री गिरीश पारीक, अभिभाषकगण अप्रार्थी सं0 2 से 6

निर्णय

दिनांक 27—10—2023

हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी,कामां द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—8—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को प्रकरण में अंतिम बहस के समय निस्तारण किए जाने के आदेश पारित किए ।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अस्पष्ट, कारण रहित एवं न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, का अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया । दौराने वाद प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17—8—2005 द्वारा यह कहकर निस्तारित किया कि प्रार्थना—पत्र का निस्तारण अंतिम बहस के समय किया जायेगा जबकि इस संबंध में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन विचारण न्यायालय उसका निस्तारण किए बगैर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत कर दिया । उनका कथन है कि अप्रार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि की रेकार्डेड खातेदार नहीं होकर गैर खातेदार है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल रेकार्डेड खातेदार ही ला सकता है। इसलिए वाद विधि वर्जित होने से निरस्त किया जावे।

उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4399/2005/भरतपुर** **छैला बनाम ग्राम पंचायत, उड़का**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को मात्र सरसरी तौर पर एवं कानूनी विषय वस्तु को नजरअंदाज कर लम्बित रखा है, जो निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उनका प्रार्थना–पत्र यह कहकर अनिर्णित रखा है कि प्रकरण अंतिम स्टेज पर होने से प्रार्थना–पत्र प्रकरण को लम्बा चलाने के लिए प्रस्तुत किया है, जबकि न्याय का यह सिद्धांत है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अप्रार्थी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज योग्य है। 5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। उनका कथन है कि अप्राथी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है। विचारण न्यायालय में प्रकरण अंतिम स्टेज पर था । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रकरण के अंतिम बहस के समय निस्तारण किया जाना अंकित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे। 6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। . 7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त वाद के जबावदावे में स्वयं प्रार्थी द्वारा यह स्वीकारोक्ति दी है कि वाद पत्र में खसरा नंबर 291/0.75, 693/1.30 वाके ग्राम अकाता तहसील कामां राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत सुन्हेरा के नाम दर्ज है एवं अप्रार्थी वादी द्वारा अपने वाद में यह कथन किया कि 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों का पुनः सीमांकन किए जाने से ग्राम पंचायत सुनेहरा से ग्राम पंचायत उदाका बनायी गई। इस प्रकार विवादित आराजी ग्राम पंचायत उदाका में सम्मिलित होने से उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा किए जाने की धमकी देने पर उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया । दावे के लम्बित रहते प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद बार्ड बाय लॉ होने से खारिज किए जाने का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4399/2005/भरतपुर** **छैला बनाम ग्राम पंचायत, उड़का**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–8–2005 द्वारा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण अंतिम बहस के समय किया जावेगा, का अंकन कर प्रार्थना–पत्र को लम्बित रख लिया जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना होता है । यदि इसका निस्तारण अंतिम बहस के समय किया जाता है तो प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा जो कि विधिसम्मत नहीं है। वाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व सभी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा तो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र को ही अंतिम बहस के समय लिए लम्बित रख दिया जो न्यायोचित नहीं है । हमारी सुविचारित राय में ऐसे विधि विरूद्ध आदेश का निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना समीचीन है। अतः निगरानी स्वीकार योग्य है । 8– उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है । उपखण्ड अधिकारी, कामां (भरतपुर) का निर्णय दिनांक 17–8–2005 निरस्त किया जाता है । उपखण्ड अधिकारी, कांमा भरतपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना–पत्र का विधिअनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें । चूंकि प्रकरण काफी पुराना है। अतः इसका निस्तारण दो माह में किया जावे । उभय पक्षकारान उपखण्ड अधिकारी, कामां (भरतपुर) के समक्ष दिनांक 21–11–2023 को उपस्थित हों। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	